कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

1. सामाजिक गतिशीलता व संस्थागत् विकास (Social mobilisation and Institutional development -SMID)

स्व सहायता समूह का गठन :– एक ही स्थान पर निवासरत् स्व सहायता समूह के गठन हेतु न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 स्थाई शहरी गरीब (बी.पी.एल. कार्डधारी 70% एवं अन्य 30%) महिलाओं को जोडकर समूह का गठन किया जाता है। ताकि अपने समूह के नाम से बैंक में बचत खाता खुलवाकर बचत कर सके एवं शासन की योजनाओं तथा बीमा का लाभ उठा सके।

समूह को आवर्ती निधि :– गठित समूह के 3 माह एवं 12 बैठक पूर्ण हो जाने के पश्चात् शासन द्वारा समूह को मजबूत बनाने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में मुश्त. 10000/– रूपये की आवर्ती निधि समूह को दी जाती है।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

क्षेत्र स्तरीय संघ (ए.एल.एफ) :– 10 से 20 समुह को जोडकर क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया जाता है, शासन स्तर पर क्षेत्र स्तरीय संघ का पंजीयन होने के पश्चात् उन्हें मु. 50000/– रूपये की आवर्ती निधि प्रदान की जाती है।

टाउन लेवल फेडरेशन (टी.एल.एफ) :– 3 क्षेत्र स्तरीय संघ को शामिल कर निर्धारित जनसंख्या के आधार पर टाउन लेवल फेडरेशन (टी.एल.एफ.) का गठन किया जाता है।

शहरी आजीविका केन्द्र :– आजीविका केन्द्र द्वारा रोजमर्रा से जुडे सेवाएं प्रदान करना लोगों को अवसर प्रदान करना एवं समूह द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्रय हेतु स्थल उपलब्ध कराना, पेटिंग दीवार लेखन, फोटोकॉपी, कोरियर सेवा, रेल्वे आरक्षण सेवा, बस आरक्षण, कैब सर्विस, दैनिक मजदूर इत्यादि के सेवाओं से जुड़े दक्ष/प्रशिक्षित लोग आजीविका केन्द्र में अपना पंजीयन निर्धारित शुल्क जमा कर इस सुविधा का लाभ ले सकते है।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

स्व–रोजगार कार्यक्रम
(Self employement Programme- SEP)

व्यक्तिगत उद्यम ऋण :– व्यक्तिगत व्यवसाय या उद्यम के लिए इच्छुक शहर के स्थाई शहरी गरीब 2 लाख तक के ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

समूह उद्यम ऋण :– सामूहिक उद्यम या व्यवसाय के लिए इच्छुक शहर के स्थाई निवासी न्यूनतम 3 सदस्य 70% शहरी गरीब शामिल होते हुए अधिकतम 2 लाख प्रति सदस्य या समूह में कुल 10 लाख तक का ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

योग्यता :– न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदित व्यवसाय की सम्पूर्ण जानकारी एवं अनुभव।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

आवेदन एवं वांछित दस्तावेज :– बैंक से सलाह करने के उपरांत कार्यक्रम के कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर बी0पी0एल0 एवं राशन कार्ड, आधार कार्ड, परियोजना प्रस्ताव, पोस्ट कार्ड, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी कार्ड, व्यक्तिगत बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
लाभ :– व्यक्तिगत एवं समूह उद्यमों को स्थापित करने के लिए स्वीकृत ऋण पर नियमित ऋण अदायगी में ब्याज में 7% दर के ऊपर ब्याज दर पर छूट उपलब्ध कराई जाएगी।
बैंक लिकेंज :– कार्यक्रम अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों जिन्हें आवर्ती निधि प्राप्त होने के 6 माह उपरांत प्रक्रिया कर बचत संबंधी ऋण (बैंक लिकेंज) दिया जा सकता है, जिसमें 7% दर से अधिक और ऊपर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एवं नियमित ऋण अदायगी में 5% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।